



प्रेषक,

आनन्द कुमार राय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक 23 मार्च, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के सुदृढीकरण योजना में रिनोवेटिंग सी0एच0सी0 क्लस्टर हाउसिंग के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गौरी बाजार, जनपद देवरिया के आवासीय भवनों की विशेष मरम्मत एवं नवीनीकरण तथा सी0सी0 रोड एवं चहारदीवारी के कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

.....

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर महानिदेशालय के पत्र संख्या-88/17फ/नि0नि0अ0/2025-26, दिनांक 29.01.2026 तथा शासनादेश संख्या-आई0/117906/2025-5-6099/409/2025, दिनांक 18.12.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शासनादेश दिनांक 18.12.2025 द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु "यू0पी0आर0एन0एस0एस0" को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 29.01.2026 द्वारा उपलब्ध किये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त एतद्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के सुदृढीकरण योजना में रिनोवेटिंग सी0एच0सी0 क्लस्टर हाउसिंग के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गौरी बाजार, जनपद देवरिया के आवासीय भवनों की विशेष मरम्मत एवं नवीनीकरण तथा सी0सी0 रोड एवं चहारदीवारी के कार्य हेतु धनराशि रुपये 199.70 लाख (एक करोड़ नब्ब्यानवे लाख सत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति पुनर्विनियोग के माध्यम से (संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 के अनुसार) निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज पाते सहष प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में दी गयी व्यवस्था का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. प्रश्नगत स्वीकृति हेतु वित्तीय नियमों, शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राप्त प्रश्नगत धनराशि का उपयोग मात्र इसी कार्य में किया जायेगा एवं समस्त कार्य मानक के अनुसार व वित्त विभाग द्वारा निर्धारित नियम, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही किया जायेगा। यदि प्रश्नगत कार्य अधोमानक पाया गया या कोई भी वित्तीय/अनियमितता परिलक्षित होती है, तो उक्त के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी/सम्बन्धित अधीक्षक एवं कार्यदायी संस्था के अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

4. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें का होगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृति दी गई है।
5. जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग वित्तीय वर्ष, 2025-26 में नहीं की जायेगी।
6. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिये स्वीकृति दी गई है।
7. स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिनांक 31 मार्च, 2026 तक कर लिया जायेगा।
8. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृति धनराशि को बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,99,70,000 (रुपये एक करोड़ निन्यानबे लाख सत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-032 लेखाशीर्षक 4210024030700 प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सुदृढीकरण मानक मद-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2024/जी 1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रमाणित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक :- यथोक्त।

भवदीय,
आनन्द कुमार राय
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्र.सं./द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्र.सं./द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, देवरिया।
4. निदेशक (प्रशासन/सौ.एच.सी.ए/नियोजन एवं बजट), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. अधीक्षण/अधिसूची अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7. अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
8. मुख्य चिकित्साधिकारी, देवरिया।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन।
10. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड (यू0पी0आर0एन0एस0एस0), लखनऊ/देवरिया।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द कुमार राय
संयुक्त सचिव।

बी0एम-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

A005-2025-2026-5 6099 409 2025 6

विषय:- वित्तीय वर्ष, 2025-26 में प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के सुदृढीकरण योजना के अन्तर्गत रिनोवेटिंग सी0एच0सी0 क्लस्टर हाउसिंग योजना के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गौरी बाजार, जनपद-देवरिया के आवासीय भवनों की विशेष मरम्मत एवं नवीनीकरण तथा सी0सी0 रोड एवं चहारदीवारी के कार्य हेतु धनराशि की व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से किये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
032	4216017000300 (जनपद लखनऊ में अधिकारी आवास का निर्माण)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	5,50,00,000 रुपये पाँच करोड़ पचास लाख मात्र	5,50,00,000 रुपये पाँच करोड़ पचास लाख मात्र	1,99,70,000 रुपये एक करोड़ निन्यानबे लाख सत्तर हजार मात्र	1,99,70,000 रुपये एक करोड़ निन्यानबे लाख सत्तर हजार मात्र	3,50,30,000 रुपये तीन करोड़ पचास लाख तीस हजार मात्र	2025-2026

कुल

₹ 1,99,70,000

₹ 1,99,70,000

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
032	4210021030700 (प्राथमिक / सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सुदृढीकरण)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	30,52,45,000 रुपये तीस करोड़ बावन लाख पैंतालीस हजार मात्र	1,99,70,000 रुपये एक करोड़ निन्यानबे लाख सत्तर हजार मात्र	1,99,70,000 रुपये एक करोड़ निन्यानबे लाख सत्तर हजार मात्र	32,52,15,000 रुपये बत्तीस करोड़ बावन लाख पन्द्रह हजार मात्र	2025-2026

कुल

₹ 1,99,70,000

₹ 1,99,70,000

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहें:-

- (1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित दिशा निर्देशों/प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (2) जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में नहीं की जाएगी।
- (3) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृति दी गई है।
- (1) **उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-**

जनपद लखनऊ में अधिकारी आवास का निर्माण के मद में वित्तीय वर्ष 2025-2026 में आय-व्ययक में क्रम संख्या-1 में अंकित मद में रुपये 550.00 लाख का प्राविधान उपलब्ध है एवं रुपये 179.48 लाख का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन होने के उपरान्त इस मद में रुपये 370.52 लाख आय-व्ययक अवशेष है। इसके अन्तर्गत रुपये 199.70 लाख की बचत सम्भावित है।

(2) उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष अंकित व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

शासन के पत्र दिनांक 18.12.2025 के द्वारा रिनोवेटिंग सी0एच0सी0 क्लस्टर हाउसिंग योजना के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गौरी बाजार, जनपद-देवरिया के आवासीय भवनों की विशेष मरम्मत एवं नवीनीकरण तथा सी0सी0 रोड एवं चहारदीवारी के कार्य हेतु "यू0पी0आर0एन0एस0एस0" को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए अग्रेतर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रुपये 3000.00 लाख का आय-व्ययक में प्राविधान उपलब्ध है, जिसके सापेक्ष रुपये 2122.11 लाख की स्वीकृति जारी कर दी गयी है तथा रुपये 877.89 लाख के प्रस्ताव विचाराधीन होने के उपरान्त इस मद में धनराशि अवशेष उपलब्ध नहीं है। इस मद में रुपये 199.70 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के क्लस्टर-150 व 151 में निर्विष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या:RE-budget-1-408, दिनांक 28 फरवरी, 2026

आनन्द कुमार राय
संयुक्त सचिव

सेवा में,
महालेखाकार (लेख) एवं हकदारी)
प्रथम उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

कपिल देव भारती
अनु सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. संबंधित कोषाधिकारी/विविध कोषाधिकारी।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियन्त्रण), अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/वित्त लेखा अनुभाग।
6. वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)।

आज्ञा से
आनन्द कुमार राय
संयुक्त सचिव